



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 19.01.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-फर्जी दस्तावेज तैयार कर,नर्सिंग होम का संचालन करके लोगो के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना कांठ:-

अवगत कराना है दिनांक 26.09.2024 को वादी डा0 संजीव कुमार बेल वाल पुत्र श्री निहाल सिंह उप मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा मेड केयर नर्सिंग होम मिश्रीपुर बेगमपुर रोड कस्बा कांठ, मुरादाबाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद में पंजीकृत न होना तथा लापरवाही व घातक कृत्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने व जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ एवं धोखाधड़ी करके मूल्यावान दस्तावेजों का प्रतिरूपण कर असली के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना



कांठ पर मु0अ0सं0-381/24 धारा 271/272/318(4)/319/338/340(2) बीएनएस व धारा 34(2) नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 19.01.2025 को उ0नि0 लईक अहमद द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभि0 राशिद पुत्र मसीत अहमद निवासी शाहबाद गेट सैन्ट्रल कालोनी थाना कोतवाली जनपद रामपुर स्थायी पता ग्राम स्योहारा बाजे थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

अभि0 राशिद पुत्र मसीत अहमद निवासी शाहबाद गेट सैन्ट्रल कालोनी थाना कोतवाली जनपद रामपुर स्थायी पता ग्राम स्योहारा बाजे थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 लईक अहमद थाना कांठ,मुरादाबाद ।

उ0नि0 मनीष कुमार,थाना कांठ,मुरादाबाद ।

का0 राजीव थाना कांठ,मुरादाबाद ।

2-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 04 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.01.2025 को थाना कांठ पुलिस द्वारा 01 आरोपी तथा थाना बिलारी पुलिस द्वारा 03 आरोपी को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।



विवरण निम्नवत है:-

1. महावीर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम भैंसली जमालपुर थाना कांठ,मुरादाबाद ।
2. हेमराज पुत्र हरप्रसाद नि0 ग्राम सिहारी लद्दा थाना बिलारी,मुरादाबाद ।
3. चन्द्रपाल पुत्र हरप्रसाद नि0 ग्राम सिहारी लद्दा थाना बिलारी,मुरादाबाद ।
4. विवेक कुमार पुत्र कमल सिंह नि0 ग्राम मिलक काजी थाना बिलारी,मुरादाबाद ।

